प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी झुन्झुनूं** थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0सू0रि0 सं. ......457/22 दिनांक 30/11/22......

2.(i) अधिनियम ...... **भ्र0नि0 (संशोधित) अधिनियम 2018** धारायें ..... **7** ......
(ii) अधिनियम ...... धारायें ......
(iii) अधिनियम ...... धारायें ......
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ......

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या......540 समय 10:35Pm......
(ख) अपराध घटने का दिन **शुक्रवार** दिनांकः–**14.10.2022** समय ......
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ......

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– **लिखित**

5. घटनास्थल :– ग्राम भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **पश्चिम दिशा में करीब 12 किलोमीटर**
(ब) पता :– **ग्राम भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनूं।**
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ...... जिला ......

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्रीमती मन्जु देवी**
(ब) पिता/पति का नाम :– **श्री रामप्रताप**
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 41 **साल**
(द) राष्ट्रीयता– ...... **भारतीय** ......
(य) पासपोर्ट संख्या ......
जारी करने की तिथि ...... जारी होने की जगह ......
(र) व्यवसाय :– ......
(ल) पता :– **निवासी चारण की ढाणी, (जालिमपुरा) ,तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनूं**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1– श्री विनोद पुत्र श्री रामदेव सिंह, उम्र 53 साल, निवासी ग्राम हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी, पटवार हल्का भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–......
...... कोई देरी नहीं हुई ......

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
......

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 15000/– रूपये**......

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ......

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 01.10.2022 को समय 08.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माईल खान मय कानि0 त्रिलोक सिंह न0 24 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व निजी वाहन के वास्ते गोपनीय सूत्र सूचना में भीमसर की तरफ रवाना हुआ। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मो0न0 9460809158 से काल आया तथा अपने आप को श्रीमती मन्जु देवी पत्नि रामप्रताप निवासी भीमसर होना बताया। परिवादिया ने

जरिये मोबाईल बताया कि मेरे ससुर जी श्री इन्द्राज जी ने 60 बीघा कृषि भूमी जमीन मेरे नाम से गिफ्ट की है। मैंने उस जमीन का नामान्तरण मेरे नाम से खुलवाने के लिए हमारे पटवारी श्री विनोद से सम्पर्क किया तो उसने उक्त जमीन का नामान्तरण मेरे नाम से करवाने के बदले 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। मैं पटवारी के खिलाफ कानुनी कार्यवाही करवाना चाहती हूँ। जिस पर मैंने परिवादिया श्रीमती मन्जु को आबुसर मिलने के लिए बताया। समय 10.25 एएम पर परिवादिया परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी पत्नि श्री रामप्रताप निवासी भीमसर पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुन्झुनूं मय अपने पति श्री रामप्रताप के उपस्थित आई। परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मय गिफ्ट डीड दिनांक 08.08.22 व संशोधित गिफ्ट डीड दिनांक 21.09.22, अपने तथा अपने पति के आधार कार्ड, जमाबन्दी संवत 2074–2077 खाता संख्या 26 की फोटो प्रतियां पेश की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य इस प्रकार थे कि मेरे ससुर जी इन्द्राज जी ने मेरे नाम 60 बीघा जमीन की गिफ्ट डीड की है। यह जमीन पटवार हल्का भीमसर में है। उक्त जमीन का नामान्तरण करवाने हेतु मैंने पटवारी विनोद से सम्पर्क किया तो पटवारी जी ने मेरे नाम नामान्तरण करने की एवज में 50,000/रुपये की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहती हूँ बल्कि पटवारी विनोद को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वा चाहती हूँ। विनोद पटवारी से मेरा कोई उधार का लेन–देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजिश है। भवदिया, श्रीमती मन्जु देवी पत्नि श्री रामप्रताप जाति जाट, निवासी चारण की ढाणी, तहसील मण्डावा (जालिमपुरा) झुन्झुनूं मो0न0 9460809158, 9057935653। परिवादिया से मजिद दरियाफ्त की गई तो परिवादिया ने बताया कि प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है जिस पर मेरे व मेरे पति के हस्ताक्षर है। परिवादिया द्वारा पेश रिपोर्ट से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना है। सत्यापन वार्ता से जो स्थति होगी वैसी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परिवादिया ने बताया कि आज अवकाश होने से पटवारी जी घर पर ही मिल सकते है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया व उसके पति का कानि0 त्रिलोक सिंह से आपस में परिचय करवाया। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी को वॉयस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की समझाईस की गई। वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो वॉयस रिकार्डर में कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी व उसके पति श्री रामप्रताप को कानि0 त्रिलोक सिंह न0 24 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पटवारी श्री विनोद के गांव हेतमसर उसके घर पर रवाना किया तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय निजी वाहन से रवाना हो कार्यालय में उपस्थित आया। श्री त्रिलोक सिंह कानि0 नं0 24 उपस्थित कार्यालय आया व डिजिटल टेप रिकार्डर वायस रिकार्डर सुपूर्द कर बताया कि परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी व उनके पति श्री रामप्रताप के साथ पटवारी श्री विनोद के गांव हेतमसर पहुँचे जहां जानकारी प्राप्त हुई कि विनोद पटवारी अपने परिवार सहित खेत में मकान बनाकर रहता है। हम सभी विनोद पटवारी के खेत के पास पहुँचकर खेत में बने मकान से कुछ दुरी पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजीटल वॉयस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी को गोपनीय मांग सत्यापन हेतु देकर रवाना किया। कुद समय बाद परिवादिया अपने पति श्री रामप्रताप के साथ वापस आई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया। परिवादिया ने बताया कि पटवारी श्री विनोद बिमार होने से ईलाज हेतु झुंझुनू गये हुये है। पटवारी जी घर पर नहीं गोपनीय मांग का सत्यापन नही हो सका। कानि0 त्रिलोक सिंह ने उक्त वार्ता जरिये दुरभाष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया था। तत्पश्चात परिवादिया एवं उसके पति को पाबन्द किया गया कि जब भी पटवारी जी अपने घर पर आये तो आप अति0 पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करे। डिजीटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित अलमारी में रखा। आईन्दा परिवादिया से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की जावेगी। परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी ने दिनांक 13.10.2022 को जरिये टेलिफोन मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी पटवारी श्री विनोद से बात हुई है वो ईलाज करवा कर अपने घर पर आ गये है। मैं कल सुबह मेरे पति के साथ गांव भीमसर मिल जाउंगी। परिवादिया को आवश्यक हिदायत कर कल सुबह गांव भीमसर मिलने के लिए पाबन्द किया गया। दिनांक 14.10.2022 को कानि0 त्रिलोक सिंह न0 24 को मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी के पास गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु गांव भीमसर की तरफ कानि0 की निजी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। कानि0 त्रिलोक सिंह न0 24 बाद रिश्वत मांग सत्यापन वापस आया तथा मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपूर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना हो गांव भीमसर पहुँचा जहां परिवादिया अपने पति श्री रामप्रताप के साथ मोटर साईकिल पर उपस्थित

आई। परिवादिया व उसके पति के साथ रवाना हो आरोपी पटवारी के खेत में बने मकान से कुछ दुरी पर परिवादिया को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर सुपूर्द कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु विनोद पटवारी के निवास स्थान पर रवाना किया जो कुछ समय बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर वापस आये तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी ने बताया कि मैं व मेरा पति रामप्रताप विनोद पटवारी जी के निवास स्थान पर पहुँच हमारी कृषि भूमी के नामान्तरण के संबंध में बात की तो पटवारी जी ने नामान्तरण अगली पांच तारीख तक खोलने के लिए कहा है। पटवारी जी ने कहां कि अगले महिने की पांच तारीख को पंचायत की मिटिंग में प्रस्ताव पास करवा कर नामान्तरण आपके पक्ष मे कर दुंगा तथा नामान्तरण करने के बदले बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। मेरे पति ने पटवारी जी को रिश्वत राशि कम करने के लिए कहा तो पटवारी जी ने पन्द्रह हजार रुपये में सौदा तय हुआ है। पटवारी जी ने कहां कि पांच तारीख को आपके कृषि भूमी के नामान्तरण होने के बाद ही रिश्वत राशि लूंगा। परिवादिया श्रीमती मन्जु देवी ने बताया कि आज मुझे तथा मेरे पति को घर के जरुरी कार्य से मण्डावा जाना है जिस पर परिवादिया तथा उसके पति को आवश्यक हिदायत कर मौके से रुखशत किया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालू कर सुना तो परिवादिया ने बताई वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। रिश्वति राशि की मांग की पुष्ठी होने पर डिजिटल वॉयस रिर्काडर को अपने पास सुरक्षित अलमारी में रखा। आईन्दा परिवादिया से सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 14.11.2022 को परिवादिया श्रीमती मन्जू देवी अपने पति श्री रामप्रताप के साथ एसीबी चौकी झुंझुनूं पर हाजिर आई। परिवादिया श्रीमती मन्जू देवी द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.10.2022 को परिवादिया व परिवादिया का पति श्री रामप्रताप व आरोपी श्री विनोद पटवारी से की गई वार्तालाप जिसको परिवादिया द्वारा कार्यालय की डिजीटल टेपरिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को स्टाफ के श्री सुभाषचन्द्र एएसआई व श्री त्रिलोक सिंह कानि. दोनों गवाहान व परिवादिया व उसके पति की मौजूदगी में मेमोरी कार्ड से कम्प्युटर के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मेमोरी कार्ड में टेप वार्ता का ब्यूरो स्टाफ के गवाहान व परिवादिया के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गयी। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादिया श्रीमती मन्जू ने एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज अपने पति रामप्रताप व एक आवाज आरोपी श्री विनोद पटवारी की आवाजों के रुप में पहचान की। डिजिटल टेपरिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'ए' अंकित किया गया। सील्ड पैकेट मार्क 'ए' व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। फर्दात पर नमूना अंकित करने में प्रयोग में ली गई कार्यालय की नमूना पीतल ब्राससील नम्बर 18 को बाद कार्यवाही दोनों स्टाफ के गवाह के रूबरू श्री सुनिल कुमार न0 227 से तुडवाकर नष्ट की गयी। जिसकी फर्द नस्टीकरण पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादिया श्रीमती मन्जू देवी ने बताया कि मेरे ससुर द्वारा मुझे कृषि भूमी की गिफ्ट डीड की गई थी जिसका नामान्तरण अब दर्ज नही हो सकता क्योंकि एसडीएम कोर्ट मण्डावा से स्थगन (स्टे) आदेश हो गया है। अब पटवारी श्री विनोद जी मेरे से रिश्वत नही लेगे। इसलिये अब ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकती है ना ही होने की संभावना है।

परिवादिया श्रीमती मन्जू देवी के पक्ष में उसके ससुर श्री इन्द्राज ने 60 बीधा कृषि भूमी की गिफ्ट डीड की थी। परिवादिया श्रीमती मन्जू देवी ने उक्त भूमी का नामान्तरण अपने नाम करवाने के लिए पटवारी श्री विनोद से सम्पर्क किया। पटवारी श्री विनोद ने परिवादिया के नाम नामान्तरण करने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी का प्रार्थना पेश करने पर दिनांक 14.10.2022 को परिवादिया श्रीमती मन्जू देवी व उसके पति रामप्रताप ने आरोपी श्री विनोद पटवारी से वार्ता की तो पटवारी विनोद ने परिवादिया के नाम नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादिया के पति ने पटवारी विनोद को रिश्वत राशि 20,000 /रु. मे से कुछ कम करने की कहने पर पटवारी जी ने 15000/रुपये लेने की सहमती दी। परिवादिया द्वारा आरोपी विनोद पटवारी को नामान्तरण खोलने के लिए कहा तो आरोपी ने 05.11.2022 को पंचायत की मिटिंग में प्रस्ताव पास करवा कर नामान्तरण खोलने तथा काम होने के बाद रिश्वती राशि लेने की सहमती दी। इस प्रकार आरोपी विनोद पटवारी द्वारा रिश्वत मांग करने की पृष्टि होती है।

इस प्रकार कि गई कार्यवाही से आरोपी श्री विनोद पटवारी, पटवार हल्का भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादिया के नाम उसके ससुर द्वारा 60 बीधा कृषि भूमी गिफ्ट डीड की गई का नामान्तरण परिवादिया के नाम खोलने की एवज में 20,000/रुपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादिया के पति रामप्रताप द्वारा रिश्वत राशि कुछ कम करने की कहने पर आरोपी श्री विनोद पटवारी ने 15,000/रु रिश्वत राशि लेने की सहमती प्रथम दृष्टया पाई जाती है जो अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के दण्डनीय कृत्य है।

अतः उक्त आरोपी श्री विनोद पुत्र श्री रामदेव सिंह, उम्र 53 साल, निवासी ग्राम हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी, पटवार हल्का भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(इस्माईल खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झुन्झुनूं।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विनोद पुत्र श्री रामदेव सिंह, पटवारी, पटवार हल्का भीमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 457/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.11.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3937-40 दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम सं02 जयपुर।
2. जिला कलेक्टर(भू.अ.), झुंझुनूं।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।

30.11.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।